May millions of lamps illuminate your life with joy, prosperity, health and wealth forever

Wishing you and your family a very Happy Diwali

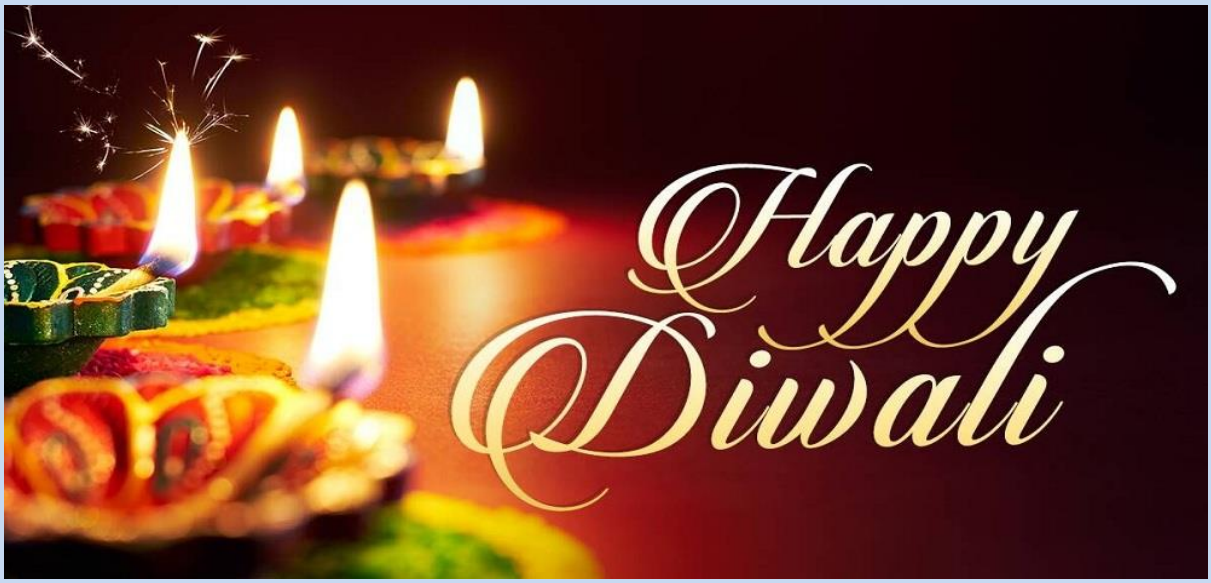

Happy Diwali……

From
Western UP Chamber of Commerce & Industry
Bombay Bazar, Meerut Cantt

WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

NOVEMBER 2021

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- IMPS ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ी, अब रोजाना कर सकेंगे पांच लाख रुपये का लेनदेन
- Bank FD पर मिल रहा महंगाई से भी कम ब्याज, इन योजनाओं में निवेश से बना सकते हैं मोटी रकम
- वित्तीय स्थिरता, वृद्धि के लिए सटीक ऑडिट रिपोर्ट जरूरी : दास
- डाक विभाग ने शुरू की IVR (इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉस) सेवा, घर बैठेगी मिलेगी अकाउंट की सारी जानकारी
- अब डाकघरों से करिए श्रम विभाग में पंजीकरण
- आयकर विभाग: टैक्स चोरी रोकने के लिए फॉर्म 26एएस का दायरा बढ़ाकर इसमें करदाताओं से जुड़ी आठ जानकारियों को किया शामिल
- आयकरदाता देख सकेंगे सालभर का लेखा-जोखा
- सरकार ने बढ़ाई केंद्रीय गैर-सरकारी कर्मियों की मजदूरी
- केंद्र सरकार ने प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर 8.5% रखने को दी मंजूरी, ऐसे चेक करें पीएफ खाते में कितना आया पैसा!
- अब नजदीकी उचित मूल्य के दुकानों पर मिलेंगे छोटे सिलेंडर और MUDRA लोन
- सुप्रीम कोर्ट: सिक्योरिटी के तौर पर जारी चेक बाउंस होना भी एनआई एक्ट के तहत अपराध, हो सकती है कार्रवाई
- मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए सरकार लाएगी इंसेंटिव स्कीम, MSME और स्टार्टअप को दी जाएगी मदद
- मेरठ जिले में बनेंगे 40 नए बिजलीघर, PVVNL का प्रस्ताव तैयार
- यूपी में बिजली बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना
- e-SHRAM पोर्टल पर दो महीने में रजिस्ट्रेशन 5 करोड़ के पार, लाभार्थियों में आधे से ज्यादा महिलाएं
- मेरठ में ईएसआई अस्पताल की जमीन पर लगी मुहर
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तगर्त 74 अनुसूचित नियोजनों में महंगाई भत्ता।

IMPS ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ी, अब रोजाना कर सकेंगे पांच लाख रुपये का लेनदेन

आरबीआई ने तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) के जरिए लेनदेन लिमिट राजाना दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में हुए फैसलों के बारे में बताते हुए अरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ने देशभर में ऑफलाइन तरीके से खुदरा डिजिटल भुगतान की रूपरेखा का प्रस्ताव किया है। इससे पहले उन्होंने ब्याज दरों के अपरिवर्तित रखने की जानकारी दी।

क्या है IMPS:

बता दें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) एक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली है, जो 24x7 तत्काल फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है। यह इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, बैंक शाखाओं, एटीएम, एसएमएस और आईवीआरएस जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुलभ है। जनवरी 2014 से प्रभावी आईएमपीएस में प्रति लेनदेन की सीमा दो तरह से निर्धारित की गई है। वर्तमान में एसएमएस और आईवीआरएस के अलावा अन्य चैनलों के लिए 2 लाख रुपये है। एसएमएस और आईवीआरएस चैनलों के लिए प्रति लेनदेन सीमा Rs.5000 है।

रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की मुख्य बातें:

- भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में देश की वास्तविक जीडीपी में 9.5 फीसद की तेजी का अनुमान लगाया है।
- इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.9 फीसद, तीसरी तिमाही में 6.8 फीसद और चौथी तिमाही में 6.1 फीसद।
- वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी 17.1 फीसद रह सकती है।
- वित्त वर्ष 2021-2022 में सीपीआई मुद्रास्फीति 5.3 फीसद रह सकती है। पिछली बैठक में 5.7 फीसद का अनुमान लगाया गया था।
- दूसरी तिमाही में महंगाई दर 5.1 फीसद रह सकती है, तीसरी तिमाही में 4.5 और चौथी तिमाही में यह 5.8 फीसद हो सकती है।
- वित्त वर्ष 2022-2023 की पहली तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2 फीसद रह सकती है।

- रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर
- आईएमपीएस की सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया।
- रिजर्व बैंक ने देशभर में ऑफलाइन तरीके से खुदरा डिजिटल भुगतान की रूपरेखा का प्रस्ताव किया।
- दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता इस्तेमाल सुधरा, आगे और सुधार की उम्मीद।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Corporate Office & Works :

303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubham@ndf.vsnl.net.in

PARVATI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

(Formerly Known as Shubham Fibres (P) Ltd.)

B-19, INDUSTRIAL ESTATE, PARTAPUR, MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. Fax.: 0121-2440711 Mobile: 9837072188

Email: shubham@ndf.vsnl.net.in

Bank FD पर मिल रहा महंगाई से भी कम ब्याज, इन योजनाओं में निवेश से बना सकते हैं मोटी रकम

बैंक के फिक्स्ड डिपाजिट (Fixed Deposit) से आय पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों और अन्य निवेशकों को मिल रहा ब्याज वास्तविक महंगाई से कम है। रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति में चालू वित्त वर्ष के दौरान खुदरा महंगाई दर 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। आरबीआइ ने पिछले सप्ताह कहा था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई के 2021-22 के दौरान 5.3 प्रतिशत रहेगी। इस पर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के पास एक वर्ष के लिए एफडी कराने पर निगेटिव ब्याज मिलेगा और बचतकर्ता के लिए वास्तविक ब्याज दर (-) 0.3 प्रतिशत होगी।

वास्तविक ब्याज दर बैंक द्वारा दी जा रही ब्याज दर में महंगाई की दर को घटाकर जानी जा सकती है। अगस्त में महंगाई दर 5.3 प्रतिशत रही है। हालांकि सितंबर में यह थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन तिमाही या छमाही आकलन पर इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। दो से तीन वर्षो के लिए एफडी कराने पर 5.10 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा, जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित महंगाई से कम है।

निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कर्जदाता एचडीएफसी बैंक एक से दो वर्ष की अवधि के 4.90 प्रतिशत ब्याज दर देता है। जबकि दो से तीन वर्षो के लिए ब्याज दर 5.15 प्रतिशत है। हालांकि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली छोटी बचत योजनाएं बैंकों की सावधि जमा दरों की तुलना में बेहतर रिटर्न दे रही हैं। छोटी बचत योजनाओं के तहत एक से तीन साल की सावधि जमा के लिए ब्याज दर 5.5 प्रतिशत है, जो महंगाई दर से अधिक है।

ग्रांट थार्नटन इंडिया के पार्टनर विवेक अय्यर ने कहा कि वास्तविक दरें कुछ समय के लिए नकारात्मक रह सकती हैं और यह जरूरी है कि लोग वित्तीय साक्षरता के आधार पर सही निवेश विकल्प को चुनें।

रिसर्जेंट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति प्रकाश गाड़िया ने कहा कि जमा पर कम ब्याज मिलने का असर दिखाई दे रहा है और लोग बेहतर रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश कर रहे हैं।

इन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं वरिष्ठ नागरिक:

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अवधि पांच साल की होती है। इसके तहत एक से अधिक अकाउंट खोला जा सकता है लेकिन इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये का ही निवेश हो सकता है। अप्रैल-जून तिमाही के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज 7.4 प्रतिशत रही है। हालांकि इससे हुई कमाई पर टैक्स लगता है।

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2023 कर दी गई है। इसमें प्रवेश की उम्र 60 साल है। 31 मार्च, 2021 को खत्म हुए वित्त वर्ष में इस पर 7.40 प्रतिशत ब्याज मिल रहा था। इसमें हर साल ब्याज दर निर्धारित की जाएगी। इसमें भी अधिकतम 15 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है। दस वर्ष की पालिसी अवधि तक पेंशनर के जीवित रहने पर निवेश की हुई रकम और फाइनल पेंशन किस्त जोड़कर मिलेगी।

डाकघर की मासिक आय स्कीम की अवधि पांच साल के लिए होती है। इसमें एक बार तय ब्याज दर ही आखिर तक मिलती है। जून तिमाही में खत्म हुई तिमाही में ब्याज दर 6.6 प्रतिशत थी। एक सिंगल अकाउंट के जरिये अधिकतम 4.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है. वही ज्वाइंट अकाउंट के जरिये नौ लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

वित्तीय स्थिरता, वृद्धि के लिए सटीक ऑडिट रिपोर्ट जरूरी : दास

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्तीय स्थिरता और वृद्धि के लिए सटीक और विश्लेषणात्मक ऑडिट रिपोर्ट जरूरी है, क्योंकि इससे नागरिकों में भरोसा पैदा होता है।

दास ने नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स (एनएएए) में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, ''ऑडिट देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय के फैसले इन्हीं रिपोर्ट पर आधारित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिहाज से ऑडिट सुशासन की आधारशिला है।'' उन्होंने कहा, ''एक लचीली अर्थव्यवस्था के लिए निष्पक्ष और मजबूत ऑडिट व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि इससे नागरिकों में भरोसा पैदा होता है... यह वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बढ़ाने का एक साधन भी है।''

उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पहले से अधिक आर्थिक फैसले किए जा रहे हैं, इसलिए गलत जानकारी के चलते अपेक्षा से कमतर निर्णय हो सकते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र का उदाहरण देते हुए गवर्नर ने कहा कि यदि कोई बैंक गलत और भ्रामक वित्तीय विवरणों के आधार पर कर्ज देता है, तो उधार लेने वाला अंत में इसे चुकाने में असमर्थ होगा।

उन्होंने कहा कि ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है और इसलिए रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऑडिट में सुधार के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सलाह से कई कदम उठाए हैं।

दास ने कहा, ''आरबीआई मानक में सुधार के लिए लगातार ऑडिटिंग के हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है।" इस साल जनवरी में वाणिज्यिक बैंकों के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया गया।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने लचीले वित्तीय क्षेत्र के निर्माण के लिए बैंकों, एनबीएफसी में मजबूत प्रशासनिक ढांचे पर जोर दिया। उन्होंने ऑडिटर समुदाय से लगातार कौशल विकास करने और अपने कार्य को सबसे प्रभावी तरीके से करने का आग्रह किया।

डाक विभाग ने शुरू की IVR (इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉस) सेवा, घर बैठेगी मिलेगी अकाउंट की सारी जानकारी

अपने लाखों ग्राहकों की सेवा में भारतीय डाक (post office) ने एक नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से आप वाकिफ होंगे क्योंकि अक्सर मोबाइल के कस्टमर केयर या बैंक आदि से बातचीत में इसी सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है. यह पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत सेवा होती है. पोस्ट ऑफिस के ग्राहक अपनी छोटी बचत की योजनाओं पर मिले ब्याज, एटीएम कार्ड को ब्लॉक करने, नए कार्ड जारी करने और पोस्ट ऑफिस की अलग-अलग स्कीम (post office schemes) के बारे में इस IVR से जानकारी ले सकते हैं.

इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पोंस या IVR की सर्विस 12 अक्टूबर को शुरू की गई है. इसके बारे में भारतीय डाक विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में बताया गया है कि ग्राहक छोटी बचत की योजनाओं (post office schemes) जैसे कि पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC), सुकन्या समृद्धि (SSY) या अन्य स्कीम के बारे में आईवीआर से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भारतीय डाक के टोल फ्री नंबर 18002666868 पर फोन करना होगा.

कैसे करें इस्तेमाल

- पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के ग्राहक IVR के जरिये ये सुविधा ले सकते हैं-
- हिंदी के लिए 1 दबाएं
- अंग्रेजी में जारी रखने के लिए 2 दबाएं
- बैलेंस जानने के लिए 5 दबाएं (पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम के लिए)-इसके लिए अकाउंट नंबर लिखें और # दर्ज करें
- एटीएम कार्ड बंद करने के लिए 6 दबाएं- कार्ड नंबर दर्ज करते हुए 1 दबाएं. अकाउंट नंबर दर्ज करते हैं तो 2 दबाएं. कस्टमर आईडी या सीआईएफ नंबर लिखते हैं तो 3 दबाएं
- अन्य सेवाओं के लिए 7 दबाएं

अगर इंडिया पोस्ट बैंकिंग सर्विसेज (POSB) का इस्तेमाल करते हैं तो 2 दबाएं. सेविंग अकाउंट (post office saving account), पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसे खाते में सेविंग बैलेंस जानने या ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारी चाहिए तो 1 दबाएं. अकाउंट नंबर लिखें और # दर्ज करें.

- आपके अकाउंट पर चेक जारी हुआ है तो उसका स्टेटस जानने के लिए 1 दबाएं
- आपके अकाउंट में पिछले 4 ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी के लिए 2 दबाएं

- अगर अकाउंट से कोई खास प्रकार का ट्रांजेक्शन हुआ है तो जानकारी के लिए 3 दबाएं
- अकाउंट (post office saving account) में ब्याज जुड़ा हो या पेमेंट किया गया हो या टैक्स कटौती गई हो तो इसकी जानकारी के लिए 4 दबाएं
- अकाउंट पर चेक जारी हुआ है और उसे बंद करना है तो 5 दबाएं
- ये सभी बातें दोबारा सुनने के लिए # दबाएं
- पिछली मेन्यू में जाने के लिए * दबाएं

अपने टर्म डिपॉजिट खाते (TD/RD/SCSS/MIS/KVP/NSC) पर लेनदेन के बारे में पूछताछ के लिए 2 दबाएं (खाता संख्या के बाद # दर्ज करें).

- एटीएम से संबंधित अनुरोधों के लिए 3 दबाएं
- एटीएम कार्ड पिन बदलने के लिए 1 दबाएं
- नया एटीएम कार्ड जारी करने के लिए 2 दबाएं
- विकल्प दोहराने के लिए # दबाएं
- पिछले मेनू पर जाने के लिए * दबाएं
- डाक बचत उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए 4 दबाएं.
- नए खाते और योजना के लिए 1 दबाएं
- डेबिट या एटीएम कार्ड विवरण के लिए 2 दबाएं
- ब्याज दर और सेवा शुल्क के लिए 3 दबाएं
- तृतीय पक्ष उत्पादों के लिए 4 दबाएं
- विकल्प दोहराने के लिए # दबाएं
- पिछले मेनू पर जाने के लिए * दबाएं

अब डाकघरों से करिए श्रम विभाग में पंजीकरण

आधार कार्ड, रेलवे रिजर्वेशन व पासपोर्ट आवेदन के बाद डाक विभाग ने जन सेवा केंद्र काउंटर पर एक और नई सेवा का शुभारंभ किया है। सरकार द्वारा योजनाओं के लाभ लेने के लिए होने वाला बेरोजगार श्रमिकों का पंजीकरण अब डाकघरों से होगा। शहर घंटाघर स्थित प्रधान डाकघर में पहले श्रमिक का पंजीकरण किया गया। मेरठ मंडल में डाकघरों के 82 सीएससी जन सेवा केंद्रों पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। डाकघर से ही ई-श्रम कार्ड बनवाने की सुविधा भी मिलेगी।

डाकघर से पंजीकरण की शुरुआत शहर घंटाघर स्थित प्रधान डाकघर से हुई। यहां से ई-श्रम कार्ड भी बनवाया जा सकता है। सीनियर पोस्टमास्टर एमपी भारद्वाज ने बताया कि गंगानगर के राजेश कुमार ने डाकघर के सीएससी काउंटर पर पहला श्रमिक पंजीकरण कराया है। उन्हें इस संबंध में काउंटर पर सभी सुविधाओं की जानकारी दी गई। बता दें कि सरकार द्वारा योजनाओं के लाभ लेने के लिए होने वाला बेरोजगार श्रमिकों का पंजीकरण अब डाकघरों से होगा, इससे काफी लाभ होगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

- आधार कार्ड नंबर (मोबाइल से लिक होना चाहिए)
- बैंक पासबुक

यह है पात्रता:

वह सभी व्यक्ति जो 16 से 59 वर्ष के बीच बेरोजगार हैं। इन्कम टैक्स जमा नहीं करते हैं।

मेरठ मंडल के डाकघरों में 82 सीएससी यानी जन सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। इन सभी जन सेवा केंद्रों पर श्रमिक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। डाक विभाग ग्राहकों को नई सेवाएं देने के लिए तत्पर है।

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Mobile No.: 9737126444, 9837081518

Email: rajendra_2068@yahoo.com

Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

आयकर विभाग: टैक्स चोरी रोकने के लिए फॉर्म 26एएस का दायरा बढ़ाकर इसमें करदाताओं से जुड़ी आठ जानकारियों को किया शामिल

टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग ने फॉर्म 26एएस का दायरा बढ़ाकर इसमें करदाताओं से जुड़ी 8 जानकारियों को शामिल कर दिया है। अब सरकार के पास फॉर्म 26एएस के जरिये करदाताओं की टैक्स छूट लेने के लिए निवेश से जुड़ी जानकारियों के साथ पूरी कुंडली होगी।

सरकार के पास होगी करदाताओं के निवेश, बीमा और छूट संबंधी सभी जानकारियां:

दरअसल, आयकर विभाग ने बड़े लेनदेन की सूची का विस्तार करते हुए फॉर्म 26एएस में म्यूचुअल फंड के साथ विदेश में भेजे गए पैसे और आईटीआर के ब्योरे को शामिल कर दिया है। इसमें करदाताओं की पूरे साल की कर से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी। करदाता इसे अपने पैन नंबर का उपयोग कर आयकर विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

रिटर्न भरना होगा आसान टैक्स चोरी पर लगेगी रोक:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 26 अक्तूबर को आयकर कानून की धारा 285बीबी के तहत फॉर्म 26एएस में रिपोर्ट की गई जानकारी के दायरे का विस्तार करते हुए आदेश जारी किया। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के निदेशक (प्रत्यक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि इस फॉर्म में सालाना सूचना ब्योरा में अतिरिक्त जानकारी से फेसलेस डिजिटल यानी अधिकारियों से आमना-सामना किए बिना आकलन सुगम होगा। इसमें नए विवरण से करदाताओं और टैक्स अधिकारियों दोनों को मदद मिलेगी।

फॉर्म में 8 नए विवरण जुड़े:

- विदेश में भेजे गए पैसे की सूचना।
- कर्मचारी की तरफ से दावा की गई टीडीएस कटौती के साथ वेतन का ब्योरा।
- अन्य करदाताओं के आईटीआर में जानकारी।
- पिछले वित्त वर्ष के लिए रिफंड पर ब्याज।
- फॉर्म 61 जमा करने के बाद अगर करदाता को पैन मिलता है तो देनी होगी।
- ऑफ मार्केट (निपटान नहीं हुए) लेनदेन।

- म्यूचुअल फंड लाभांश से जुड़ा ब्योरा।
- म्यूचुअल फंड की खरीद के बारे में सूचना।

नए पोर्टल पर मिलेगी टैक्स ऑडिट की सुविधा:

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अपने नए पोर्टल पर 2019-20 और 2020-21 के लिए टैक्स ऑडिट उपयोगिता फॉर्म की सुविधा शुरू की है। 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) में बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 10 करोड़ से अधिक हैं तो करदाताओं को खातों का ऑडिट कराना होगा। पेशेवरों के लिए सीमा 50 लाख है। 2020-21 के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी, 2022 है। 2019-20 के लिए अवधि 15 जनवरी, 2021 थी। हालांकि, कंपनियां अब भी संशोधित टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकती हैं।

SANGAL PAPERS LIMITED

Manufactures of:

ENVELOPE PAPERS, RIBBED PAPERS, PACKAGING & MANINATION PAPERS, SCRAP BOOK, CRAFT PAPERS, WRITING & PRINTING PAPERS, MG COLOUR PAPERS, NEWS PRINT PAPERS, STATIONERY PAPERS, PULP GRADE PAPERS

Regd. Office/Works:

Village Bhainsa, 22Km, Meerut Mawana Road, Mawana, Meerut- 250401

Phone No.: 01233-271137

Email: sales@sangalpapers.com

Website: www.sangalpapers.com

आयकरदाता देख सकेंगे सालभर का लेखा-जोखा

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) से जुड़े इनकम टैक्स पोर्टल पर आयकरदाता अब सालभर के अपने लेखा-जोखा या वार्षिक सूचना विवरण (एआइएस) को देख सकेंगे। टैक्स भरने जा रहे है तो अपना एआइएस जरूर देख ले। अगर आयकरदाता को लगता है कि विवरण में कोई कमी है या किसी ओर का विवरण है या फिर इसमें बदलाव की जरुरत है तो वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फीडबैक दे सकता है।

एआइएस में आयकरदाता को बैंको से मिलने वाले ब्याज, म्युचुअल फंड और शेयर बाजार में किए गए निवेश, उससे होने वाली कमाई व अन्य किसी जगह से मिलने वाले लाभांश की जानकारी होगी। आयकरदाता एएसआइ को डाउनलोड भी कर सकता है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले एएसआइ को देखने की सलाह दी है, ताकि आइटीआर भरने में सहूलियत हो।

इसके अलावा आयकरदाता ने कोई ट्रांजेक्शन किया है, जो उस विवरण में नहीं दिख रहा है तो उसकी जानकारी आयकरदाता फीडबैक के जरिये दे सकता है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के सर्विस सेक्शन में जाकर एएसआइ को देखा जा सकता है।

सरकार ने बढ़ाई केंद्रीय गैर-सरकारी कर्मियों की मजदूरी

सभी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने केंद्रीय विभागों में काम करने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी दीपावली का तोहफा दिया है। श्रम मंत्रालय ने इन कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। इसके तहत रोजाना मजदूरी कम से कम 377 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, 864 रुपये प्रतिदिन की सबसे अधिक मजदूरी होगी। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए यह बदलाव किया गया है।

1.5 करोड़ श्रमिकों को होगा फायदा, फैसला पहली अक्टूबर से माना जाएगा प्रभावी:

यह फैसला पहली अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा और इससे 1.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार से जुड़े सभी विभाग, रेलवे प्रशासन, खनन, आयल फील्ड्स और सार्वजनिक कंपनियों में काम करने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। केंद्रीय विभागों में अनुबंध और आकस्मिक रूप से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी फैसला लागू होगा।

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि केंद्रीय विभागों में निर्माण, सड़कों के रखरखाव, रनवे, बिल्डिंग संचालन, सफाई, लोडिंग-अनलोडिंग, खनन, कृषि जैसे क्षेत्रों में अनुसूचित रोजगार के तहत काम करने वाले 1.5 करोड़ श्रमिकों को सरकार के इस फैसले से काफी लाभ मिलेगा।

अगल- अगल श्रेणी में अलग-अगल मजदूरी दर:

न्यूनतम मजदूरी दर में एरिया के हिसाब से बदलाव किया गया है। सभी एरिया को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया है। वहीं कुशल, गैर कुशल अर्धकुशल, उच्च-कुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी दर होगी। निर्माण क्षेत्र के गैर-कुशल कामगार को 'ए' श्रेणी एरिया में रोजाना 654 रुपये तो 'बी' श्रेणी एरिया में रोजाना 546 रुपये तो सी श्रेणी में 437 रुपये रोजाना मिलेंगे। उच्च-कुशल कामगार को ए श्रेणी एरिया में 864 रुपये, बी श्रेणी एरिया में 795 रुपये तो सी श्रेणी एरिया में 724 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को ए श्रेणी एरिया में 417 रुपये, बी श्रेणी एरिया में 380 रुपये तो सी श्रेणी में 377 रुपये रोजाना की न्यूनतम मजदूरी होगी। खनन क्षेत्र में खदान के अंदर काम करने वालों को खदान के बाहर काम करने वालों से अधिक मजदूरी मिलेगी। खदान के अंदर काम करने वाले अकुशल कामगार को रोजाना कम से कम 546 रुपये और उच्च श्रमिक को 851 रुपये मिलेंगे। खदान के ऊपर काम करने वाले अकुशल कामगार को रोजाना कम से कम 437 रुपये और उच्च प्रशिक्षित श्रमिक को रोजाना 762 रुपये मिलेंगे।

केंद्र सरकार ने प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर 8.5% रखने को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज की दर 8.5 फीसदी (Provident Fund Interest Rate) रखने को मंजूरी दे दी है। इससे 5 करोड़ से भी अधिक ईपीएफओ (EPFO) के सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर 8.5 फीसदी रखने का फैसला मार्च के महीने में ही श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ से जुड़े फैसले लेने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी (CBT) ने किया था।

पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड पर दिए जाने वाले ब्याज को 2019-20 के लिए घटाकर 8.5 फीसदी कर दिया था, जो 7 सालों का न्यूनतम स्तर था। इससे पहले 2018-19 में प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर 8.65 फीसदी थी, जिसे 2016-17 में बढ़ाकर 8.65 फीसदी किया गया था। इससे पहले 2017-18 में प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर 8.55 फीसदी हुआ करती थी। 2015-16 में तो ब्याज दर 8.8 फीसदी थी। वहीं 2013-14 और 2014-15 में यह 8.75 फीसदी थी। 2012-13 में प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर 8.5 फीसदी हुआ करती थी। 2011-12 में प्रोविडेंट फंड पर ब्याज 8.25 फीसदी की दर से मिला करता था।

कैसे चेक करें पीएफ खाते का बैलेंस?

अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और जानने चाहते हैं आपके खाते में ब्याज के कितने पैसे आए हैं? पैसे आए भी हैं या नहीं? तो आपको सिर्फ एक मिस कॉल करनी होगी और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप अपने खाते का बैलेंस एसएमएस, ईपीएफओ पोर्टल या फिर उमंग ऐप से भी चेक कर सकते हैं।

एक मिस्ड कॉल से जानें पैसे आए या नहीं:

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पीएफ खाते में ब्याज के पैसे आए या नहीं तो इसका पता आपको बैलेंस चेक करने से चल जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल करनी होगी। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 नंबर पर फोन करें। ध्यान रहे कि आपका यूएएन, पैन और आधार लिंक होना जरूरी है। बैलेंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि पैसे आए हैं या नहीं।

SMS से भी जान सकते हैं बैलेंस:

ईपीएफ खाते का बैलेंस आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका UAN नंबर EPFO के साथ रजिस्टर्ड हो। अगर ऐसा है तो आपको 7738299899 पर 'EPFOHO UAN ENG' लिखकर भेजना होगा। चंद सेकेंड में ही आपको मैसेज का जवाब आ जाएगा और पता चल जाएगा कि पैसे आए या नहीं। यह सर्विस अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी समेत 10 अलग-अलग भाषाओं को सपोर्ट करती है।

Umang App के जरिए चेक करें अपने PF खाते का बैलेंस:

यह एक सरकारी ऐप है जिसके जरिए सिर्फ EPF नहीं, कई अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही जगह पर लिया जा सकता है।

- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर के जरिए Umang App को डाउनलोड करें।
- अपने फोन नंबर को रजिस्टर करें और ऐप में लॉगिन करें।
- टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिए गए मेन्यू में जाकर 'Service Directory' में जाएं।
- यहां EPFO विकल्प को सर्च करके क्लिक करें।
- यहां View Passbook में जाने के बाद अपने UAN नंबर और OTP के जरिए बैलेंस देख लें।

ईपीएफओ पोर्टल के जरिए:

- ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग इन करें। epfindia.gov.in पर ई-पासबुक पर क्लिक करें
- ई-पासबुक पर क्लिक करने पर एक नए पेज passbook.epfindia.gov.in पर आ जाएंगे।
- यहां आपको अपना यूजर नाम (UAN नंबर), पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा।

- सभी डिटेल्स भरने के बाद एक नए पेज पर आ जाएंगे और यहां मेंबर आईडी का चुनाव करना होगा।
- यहां ई-पासबुक पर अपना ईपीएफ बैलेंस मिल जाएगा।

अब नजदीकी उचित मूल्य के दुकानों पर मिलेंगे छोटे सिलेंडर और MUDRA लोन

सरकार ने देशभर में उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के माध्यम से छोटे LPG सिलेंडर बेचने को प्रस्ताव रखा है. सरकार ने FPS के माध्यम फाइनेंशियल सर्विस देने और कैपिटल वृद्धि के लिए अपने डीलरों को MUDRA लोन देने का प्रस्ताव भी है.

देश में कुल 5.32 लाख FPS हैं. इस कदम के साथ, केंद्र अपनी सेवाओं को गरीब और जरूरतमंद कन्ज्यूमर्स के करीब ले जाने का लक्ष्य बना रहा है.

क्या है FPS:

उचित मूल्य की दुकान या FPS वह दुकानें होती हैं, जहां राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर राशन दिया जाता है. आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से इन्हें लाइसेंस दिया जाता है.

फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी, सुधांशु पांडे ने कई मिनिस्ट्री और PSU के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में FPS की फाइनेंशियल व्यवहार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे और सक्रिय करने पर जोर दिया है.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने की तारीफ:

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने FPS के माध्यम से छोटे LPG सिलेंडरों की रिटेल बिक्री के प्रस्ताव की सराहना की और बताया कि इसमें इच्छुक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश (UT) को इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी.

FPS पर मिलेंगे MUDRA लोन:

वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज डिपॉर्टमेंट ने FPS के माध्यम से फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करने के लिए FPS डीलरों को MUDRA लोन देने के सरकार के प्रस्ताव की सराहना और बताया कि इसके लिए इच्छुक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश (UT) को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी.

इससे पहले, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के CEO ने सरकार की इस योजना में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया. इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ साझेदारी के लिए CSC की तैयारियों को लेकर भी एक प्रेजेंटेशन दिया।

PASWARA PAPERS LIMITED

PASWARA GROUP

AN ISO 9001: 2008 Certified Company

Paper Product

High RCT Paper, High Ply Bond Paper, High BF Kraft Paper, White Craft Liner Paper

Regd. Office:

Paswara House, Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2511692, Fax: +91-121-4056535
Email: paswara@ndf.vsnl.net.in

Factory:

N.H.-58, Paswara Border, Mohiuddinpur, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2410502/503 Fax: +91-121-2410505
Email: info@paswara.com

सुप्रीम कोर्ट: सिक्योरिटी के तौर पर जारी चेक बाउंस होना भी एनआई एक्ट के तहत अपराध, हो सकती है कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी के तौर पर जारी चेक के बाउंस होने पर भी एनआई एक्ट की धारा-138 के तहत अपराध हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा सख्त नियम नहीं हो सकता है कि सिक्योरिटी के तौर पर जारी किया गया चेक कभी भी नहीं भुनाया जाएगा।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, इस तरह का विवाद केवल उस स्थिति में उत्पन्न होता है जहां तय समय के भीतर बकाए की वसूली न हो पाई हो और जमानत के रूप में जारी किया गया चेक न भुनाया जा सका हो।

मौजूदा मामले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि सिक्योरिटी के रूप में जारी किया गया चेक बाउंस होना अपराध नहीं हो सकता। इस पर पीठ ने कहा, इस न्यायालय द्वारा उक्त मामले में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है कि सिक्योरिटी के रूप में जारी किया गया चेक सभी परिस्थितियों में वसूली के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

THE FASTEST GROWING INSTITUTION

CAEHS

College of Applied Education & Health Science

Gangotri, Roorki Road, Meerut

Phone no.: 0121-2610931, 2610200, 2610033

Admission Helpline: 9997030564, 9258051445

Email: info@caehs.edu.in

Website: www.caehs.edu.in

मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए सरकार लाएगी इंसेंटिव स्कीम, MSME और स्टार्टअप को दी जाएगी मदद

देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक इलेक्ट्रानिक चिप कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाएगी। क्वालकाम, मीडियाटेक, इंटेल, इंफीनियोन और टेक्सास इंस्ट्रूमेंटस जैसी वैश्विक कंपनियों के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर देश के अंदर हैं, जो उनके चिपसेट विकास में योगदान करते हैं।

एक अधिकारी ने बताया, 'सरकार एक नई सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत एमएसएमई और स्टार्टअप को ना केवल वित्तीय मदद दी जाएगी बल्कि मैन्यूफैक्चरिंग के दौरान भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इतना ही जब ये स्टार्टअप चिप का उत्पादन और बिक्री शुरू करेंगे तो वे शुद्ध बिक्री पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी लाभ उठा सकेंगे।'

सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि सरकार इस क्षेत्र में रोडमैप पर चर्चा के लिए नवंबर में सेमीकंडक्टर कंपनियों के एक सम्मेलन की मेजबानी करेगी।

मेरठ जिले में बनेंगे 40 नए बिजलीघर, PVVNL का प्रस्ताव तैयार

शहर में रैपिड रेल प्रोजेक्ट समेत विकास की रफ्तार तेज है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है। इससे आने वाले पांच साल में बिजली की मांग अत्यधिक बढ़ जाएगी। इसकी पूर्ति के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने नए बिजलीघरों के निर्माण की कवायद शुरू कर दी है। रिवैंप योजना के तहत पूरे जिले में 40 नए बिजलीघर बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। इसमें 13 नए बिजलीघर शहरी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

गत कई दिनों से पविविनिलि के बिजली अफसर प्रस्तावित 33/11 विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से भूमि की तलाश में जुटे हैं। विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता पारेषण पश्चिम समेत अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। प्रस्ताव लगभग फाइनल अवस्था में है। बिजली अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ मुख्यालय द्वारा तकनीकी परीक्षण व स्वीकृति के बाद प्रस्तावित नए बिजलीघरों के निर्माण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। नए बिजलीघरों का प्रस्ताव अगले पांच साल में शहर-ग्रामीण विकास, बिजली आपूर्ति की जरूरत के आकलन के अनुसार तैयार किया गया है। मुख्य अभियंता संजय आनंद

जैन ने कहा कि रिवैंप योजना केंद्र सरकार की है। विकास को देखते हुए अगले पांच साल के हिसाब से काम होना है। नए बिजलीघर, पुराने बिजलीघरों की क्षमता वृद्धि, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि समेत बहुत सारे काम होने हैं।

नए बिजलीघर बनने से ये होगा फायदा:

-बिजलीघर अंतर्गत फीडर छोटे हो जाएंगे। एलटी लाइनें छोटी-छोटी हो जाएंगी। इससे ऊर्जा हानि कम होगी।

-पांच साल में जो लोड बढ़ेगा उसके सापेक्ष विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। इससे बिजली संकट नहीं खड़ा होगा।

-नए बिजलीघरों से बढ़ती आबादी के हिसाब से बढ़ने वाली बिजली की मांग को पूरा करना आसान होगा।

-ट्रांसफार्मरों पर बिजली की मांग का भार अधिक नहीं होगा। इससे ट्रांसफार्मर व लाइन फाल्ट कम होंगे।

यूपी में बिजली बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना

यूपी पावर कार्पोरेशन ने बिजली बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लॉन्च की है। इसमें किसान, छोटे घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में विशेष छूट दी जाएगी। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इस समय तक हर उपभोक्ता को अपने बकाये बिजली बिल का भुगतान करना होगा। आगे जानिए इस योजना के तहत किसे मिलेगा और क्या है प्रक्रिया-

यूपी में किसानों से लेकर छोटे दुकानदारों के बकाये बिल का मुद्दा बना हुआ है। कुछ दिनों पहले एक समीक्षा बैठक के दौरान, सीएम योगी को कुछ बीजेपी सांसदों और विधायकों ने बिजली की कमी के कारण किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्याओं के बारे में बताया था।

क्या है एकमुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस?

2 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 2-5 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का 50 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा। निजी नलकूप वाले सभी उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना का लाभ वे उपभोक्ता भी ले सकेंगे, जिनका बकाए की वजह से कनेक्शन काट दिया गया है।

सरचार्ज छूट स्कीम की समय सीमा:

यह योजना 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी।

किसे कितनी मिलेगी छूट:

- 2 KW तक के LMV-1 घरेलू उपभोक्ताओं व समस्त भार के LMV-5 निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मूल बकाया अपने वर्तमान बिल के साथ जमा करने पर 30 सितंबर तक के बकाये पर 100 फीसदी सरचार्ज माफी मिलेगी। घरेलू उपभोक्ता 6 किश्तों में बिल भुगतान कर सकते हैं।
- 2 KW तक के LMV-2 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 100 फीसदी सरचार्ज माफी, 2 KW से अधिक और 5 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 50फीसदी सरचार्ज माफी मिलेगी।
- 2 KW से अधिक के LMV-1 घरेलू उपभोक्ताओं को भी 50 फीसदी सरचार्ज माफी मिलेगी।

ओ0टी0एस0 में आच्छादित उपभोक्ता श्रेणियाँ			सरचार्ज माफी
घरेलू	LMV1	2 कि0वा0 तक	100% सरचार्ज में छूट
	LMV1	2 कि0वा0 से अधिक	50% सरचार्ज में छूट
वाणिज्यिक	LMV 2	2 कि0वा0 तक	100% सरचार्ज में छूट
	LMV 2	2 कि0वा0 से अधिक एवं 5 कि0वा0 तक	50% सरचार्ज में छूट
निजी नलकूप	LMV5	सभी भार के लिये	100% सरचार्ज में छूट

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन:

उपभोक्ता अपने क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता, SDO कार्यालय या CSC पर पंजीकरण करा सकते हैं और बिल जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता http://upenergy.in पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी नजदीकी बिजली घर व टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है।

इस स्कीम में नया क्या है:

इस बार रजिस्ट्रेशन फीस की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता सीधे सरचार्ज छूट का लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता पर 12000 रुपये का बकाया है जिसमें 2000 रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। इस दशा में उसे एक बार में 10,000 रुपये ही बकाया जमा करना होगा। पहले उपभोक्ता को कुछ पंजीकरण शुल्क जमा करने के साथ रजिस्टर करना होता था।

रोज होगी ओटीएस की समीक्षा:

यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने कहा, 'सभी वितरण कंपनियों के अधिकारियों को विशेष अभियान शुरू करने, अभियान चलाने और शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को फायदा हो सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिले।' उन्होंने कहा कि डिस्कॉम इसे लेकर रोज समीक्षा करेगी।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि ओटीएस स्कीम किसानों और 2 किलोवॉट वाले उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगी। बकायदारों को छह किश्तों में बिल चुकाने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 2 किलोवॉट से 5 किलोवॉट के बीच मीटर वालों को सरचार्ज पर 50 फीसदी छूट मिलेगी। यह योजना उन उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी जिनकी बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी गई है या जो कानूनी विवादों में फंस गए हैं।

e-SHRAM पोर्टल पर दो महीने में रजिस्ट्रेशन 5 करोड़ के पार, लाभार्थियों में आधे से ज्यादा महिलाएं

सरकार ने कहा कि दो महीनों में ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) पर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में पहला संगठित रूप से एकत्रित राष्ट्रीय आंकड़ा है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘दो महीनों में 5 करोड़ से अधिक कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है.’’

विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है. इसमें निर्माण, परिधान, विनिर्माण, मत्स्य, खोमचे-रेहड़ी पटरी वाले, ठेका कर्मी, घरों में काम करने वाले, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से

जुड़े तथा परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले कामगार शामिल हैं. इन क्षेत्रों में से कुछ में काफी संख्या में प्रवासी कामगार जुड़े हैं.

पुरूष से ज्यादा महिला लाभार्थी:

बयान में कहा गया है कि देश में रोजगार सृजन में कृषि और निर्माण क्षेत्रों की हिस्सेदारी को देखते हुए सर्वाधिक संख्या में इन्हीं क्षेत्रों के कामगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर पंजीकृत 5.72 करोड़ कामगारों में से 50.94 फीसदी लाभार्थी महिलाएं और 49.55 फीसदी पुरुष हैं.

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन:

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक अपने मोबाइल ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा वे कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), राज्य सेवा केंद्र, श्रम सुगमता केंद्र, चुनिंदा डाकघरों, डिजिटल सेवा केंद्रों पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को डिजिटल ई-श्रम कार्ड दिया जाता है. ई-श्रम कार्ड पर एक यूनिवर्सल खाता संख्या होता है, जो पूरे देश में मान्य है. किसी अन्य स्थान पर जाने की स्थिति में भी वे सामाजिक सुरक्षा लाभ के पात्र रहते हैं.

ई-श्रम कार्ड का फायदा:

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक की मृत्यु होने या उसके स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी. अस्थाई रूप से दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी. आंकड़ों से पता चलता है कि पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों में सबसे ज्यादा संख्या कृषि और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की है.

इस प्लैटफॉर्म पर युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा:

इसके अलावा, घरेलू और घरेलू श्रमिकों, कपड़ा क्षेत्र के श्रमिकों, ऑटोमोबाइल और परिवहन क्षेत्र के श्रमिकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर वर्कर्स, पूंजीगत सामान श्रमिकों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा, पर्यटन और होटल आदि से जुड़े लोग, खाद्य उद्योग और कई अन्य व्यवसायों के श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इन रजिस्टर्ड श्रमिकों में से लगभग 65.68 फीसदी 16-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और 34.32 फीसदी 40 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के हैं. इन श्रमिकों में अन्य पिछड़ी जातियां (OBC) और सामान्य जातियां शामिल हैं, जिनमें क्रमशः इन श्रेणियों से लगभग 43 फीसदी और 27 फीसदी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से 23 फीसदी और 27 फीसदी हैं.

HYUNDAI

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

मेरठ में ईएसआई अस्पताल की जमीन पर लगी मुहर

मेरठ में 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय(ईएसआई) के निर्माण के लिए शासन ने जमीन पर मुहर लगा दी है। इसके लिए कंकरखेड़ा क्षेत्र के नंगलाताशी में 4.6680 हेक्टेयर जमीन में से 2.0240 हेक्टेयर चिन्हित कर केंद्र सरकार को हस्तांरित की जाएगी। केन्द्रीय श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को शनिवार रात कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूर करा लिया गया। अब जल्द ही ईएसआई अस्पताल के निर्माण की कार्रवाई होगी।

करीब दो साल पूर्व सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, श्रम कल्याण आयोग के चेयरमैन सुनील भराला आदि ने तत्कालीन केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार से मिलकर मेरठ में ईएसआई अस्पताल निर्माण का अनुरोध किया था। उसके बाद केन्द्र सरकार ने ईएसआई अस्पताल के लिए प्रदेश सरकार और डीएम से पांच एकड़ जमीन दिये जाने का अनुरोध किया था। पूर्व में तत्कालीन डीएम अनिल ढींगरा ने कंकरखेड़ा में जमीन दिये जाने का आश्वासन दिया था। उसके बाद वर्तमान डीएम के.बालाजी ने तहसील और नगर निगम से रिपोर्ट लेकर नंगलाताशी में उपलब्ध 4.6680 हेक्टेयर जमीन में से 2.0240 हेक्टेयर जमीन दिये जाने का शासन को प्रस्ताव भेजा। डीएम की ओर से भेजे गये प्रस्ताव पर अब शासन ने मुहर लगा दी।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तगर्त 74 अनुसूचित नियोजनों में महंगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तगर्त राजाज्ञा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यू०वे०)/4 दिनांक, 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-856/36-03-2019-931 (न्यू०वे०)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारो हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गई है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर 1/6 से कम न होगी।

उक्त के क्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 के औसत 345 अंको के ऊपर जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के औसत अंक 345 अंको के ऊपर दिनांक 01-10-2021 से दिनांक 31-03-2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त रूपये-5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-345 पर दिनांक 01-10-2021 से दिनांक 31-03-2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(345-216)x5760 - रूपये 3434/प्रतिमाह
210

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरे निम्नवत है-

क्रमांक	**श्रेणी**	**प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)**	**प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में**		**दिनांक 01-10-2021 से 31-03-2022 तक**	
			दिनांक 01-04-2021 से 31-09-2021 तक	**दिनांक 01-10-2021 से 31-03-2022 तक**	**कुल मजदूरी (रूपये में)**	**दैनिक मजदूरी (रूपये में)**
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5760	3008	3434	9184	353.23
2	अर्धकुशल	6325	3309	3777.29	10102.29	389
3	कुशल	7005	3706	4231.16	11316.16	435.2

XXXXXXXXXX